



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर 2025—आश्विन 4, शक 1947

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2025

आदेश

फा. क्र. 10-क-चार-निरर्हित-2025-76.— भारत निर्वाचन आयोग के निम्नांकित आदेश को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

आदेश क्र. 76-मध्यप्रदेश-वि.स.-45-2024-सी.ई.एम.एस-III, दिनांक 18 सितम्बर, 2025

रामप्रताप सिंह जादौन, अपर सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर, 2025—27 भाद्रपद, 1947 (शक)

आदेश

सं. 76-मध्यप्रदेश-वि.स.-45-2024-सी.ई.एम.एस-III.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना नं. 15 विधि निर्वा चार-म.प्र. वि.स. 2023 के अनुसरण में मध्यप्रदेश के लिए साधारण निर्वाचन 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला

निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्यप्रति होगी; और

यतः, मध्यप्रदेश राज्य के 45-पृथ्वीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2023 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02 जनवरी 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, निवाड़ी की रिपोर्ट दिनांक 05 जनवरी 2024, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल से दिनांक 07 फरवरी 2024 के पत्र सं. 10-क-4-निर्वा.व्यय-निर्देश-2023-24-1032 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्रीमती मिनी यादव जो मध्यप्रदेश राज्य के 45-पृथ्वीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (5) के अंतर्गत श्रीमती मिनी यादव को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76-मध्यप्रदेश-वि.स.-45-2024-सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 19 जुलाई 2024 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उपनियम (6) के अनुसार श्रीमती मिनी यादव को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, निवाड़ी को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निवाड़ी से दिनांक 19 फरवरी 2025 के पत्र सं.-सामान्य निर्वाचन-2025-46 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्रीमती मिनी यादव के द्वारा दिनांक 12 नवम्बर 2024 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, निवाड़ी ने पत्र सं.-सामान्य निर्वाचन-ES-2025-158, दिनांक 24 जुलाई 2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती मिनी यादव ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है. नोटिस तामील के बाद, श्रीमती मिनी यादव द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2025 को अभ्यावेदन भी भेजा गया था, उक्त अभ्यावेदन पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी के लिये आयोग द्वारा पत्र भेजा गया था, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त अभ्यावेदन को निराधार बताया गया है. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी श्रीमती मिनी यादव द्वारा कोई भी व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा.

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती मिनी यादव अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा घोषणा करता है कि मध्यप्रदेश राज्य के साधारण निर्वाचन, 2023 के 45-पृथ्वीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी श्रीमती मिनी यादव, निवासी गृह संख्या-5, भोरखरी, पोस्ट-मस्तापुर, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगी.

आदेश से,
हस्ता./-
(मोहम्मद उमर)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated: 18th September 2025-27 Bhadarpada, 1947 (Saka)

ORDER

No. 76-MP-LA-45-2024-CEMS-III.-WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2023 was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 15-विधि निर्वा.-चार-म.प्र.-वि.स.- 2023, dated 21st October 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of her election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for 45-Prithvipur Assembly Constituency of Madhya Pradesh was declared by the Returning Officer on 3rd December 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 2nd January 2024; and

WHEREAS, as per the District Election Officer's report dated 5th January 2024 forwarded by the Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh, Bhopal vide his letter No. 10-क-4-निर्वा. व्यय-निर्देश-2023-24-1032, dated 7th February 2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, Smt. Mini Yadav, a contesting candidate from 45-Prithvipur Assembly Constituency of Madhya Pradesh has failed to lodge her account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, Niwari, a Show-Cause notice No.सं. 76-मध्यप्रदेश-वि.स.-45-2024-सी.ई.एम.एस.-III, dated 19th July 2024 was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, by the Election Commission of India to Smt. Mini Yadav for not lodging of her account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, Smt. Mini Yadav, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Niwari within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Niwari, vide his letter No. सामान्य निर्वाचन-2025-46, dated 19th February 2025 it has informed that notice was served to candidate Smt. Mini Yadav, on 12th November 2024; and

WHEREAS, the District Election Officer, Niwari in his Supplementary Report, vide its letter No. सामान्य निर्वाचन-ES-2025-158, dated 24th July 2025 has reported that Smt. Mini Yadav, has not submitted her account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, Smt. Mini Yadav, sent a representation dated 17th February 2025, regarding which a letter was sent by the Commission for comments from the District Election Officer, who has stated that the representation is baseless. Additionally, candidate Smt. Mini Yadav has not submitted any account of expenses, and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Smt. Mini Yadav has failed to lodge her account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Mini Yadav resident of House No.5, Bhorkhari, Post-Mastapur, Tehsil-Mohangarh, Dist.-Tikamgarh(M.P.), a contesting candidate in 45-Prithvipur Assembly Constituency of General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd./-

(MOHAMMED UMAR)

Principal Secretary,

Election Commission of India.